

दिनांक 16.11.2016 को वामेती, पटना के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

भूमि संरक्षण की योजनाएँ -

RKVY & BGREI : दोनों योजनाओं में कुल 5131 योजना के लिए 4520.15 लाख राशि की स्वीकृति हुई थी, जिसमें RKVY/BGREI योजना के लिए 3593.35 लाख राशि व्यय हुई है। जहानाबाद, पटना, नवादा जिला में व्यय नहीं हो रहा है, जबकि गया, बाँका, जमुई जिला में भुगतान के लिए 222.876 लाख रुपये की माँग की गयी है। जिले के उप निदेशकों से की गयी माँग के संबंध में जाँच हेतु उन जिलों के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षा कर बची हुई राशि को एक जिला से दूसरे जिला में भेजी जायेगी। सभी राशि को 31 मार्च के पूर्व व्यय करते हुए योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृ0अभि0))

State Plan : 2014-15 में स्वीकृत योजनाओं के प्रगति के संबंध में वस्तुस्थिति बतायी गयी। इस योजना में मात्र 26.36 लाख रुपये बची है। सभी योजनाओं में 30 नवम्बर, 2016 तक भुगतान की कार्रवाई पूरी करते हुए अभिलेख बन्द करने का निदेश दिया गया तथा बची राशि 30 नवम्बर, 2016 के बाद जमा कर देने का निदेश भी दिया गया।

(संबंधित उप निदेशक (कृ0अभि0))

PMKSY (WD) : IWMP को अब PMKSY (WD) योजना के रूप में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त आवंटन में 50% राशि WCDC को भेज दिया गया है। विमुक्त राशि को 30 नवम्बर, 2016 तक शत-प्रतिशत खर्च कर प्रतिवेदन एवं उपयोगिता देने का निदेश दिया गया, ताकि भारत सरकार से अगली किस्त की माँग की जा सके।

(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृ0अभि0))

State Plan 2016-17 : इस योजना की राशि स्वीकृत हो गयी है, जिसका 50% राशि जिलों को भेज दी गयी है। सभी योजनाओं का अभिलेख खोलकर तुरंत कार्य शुरू करने एवं 80% राशि 31.12.2016 तक व्यय करने का निदेश दिया गया।

(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृ0अभि0)

PMKSY (Other interventation) : इस योजना में भू-गर्भ जल स्तर बढ़ाने एवं जल संचयन के लिए योजना ली गयी है। इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर लेने का निदेश दिया गया।

जहानाबाद जिला के जिला कृषि पदाधिकारी-सह- प्रभारी उप निदेशक (कृ0अभि0) द्वारा बताया गया, कि कार्य में प्रगति नहीं होने का कारण सहायक का अनुपस्थित रहना है। उनके द्वारा बताया गया, कि निदेशक भूमि संरक्षण को हटाने के लिखने के बावजूद उसे हटाते हुए दूसरा सहायक नहीं दिया जा रहा है। निदेशक, भूमि संरक्षण को मामले की जाँच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल-सह- प्रभारी उप निदेशक (कृ0अभि0) द्वारा भी सहायक को हटाने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा दोनों पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजनाओं का कार्यान्वयन करें। बैठक में केवल बहाना नहीं बनाया जाए। यदि कोई दिक्कत हो तो संबंधित पदाधिकारी से समय रहते सम्पर्क करें।

(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृ0अभि0)

Reclamation of Problem Soil समीक्षा बैठक में निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा जानकारी दी गयी कि Reclamation of Problem Soil मद में भारत सरकार द्वारा 3 करोड़ केन्द्रांश एवं 2 करोड़ राज्यांश की राशि विमुक्त की गयी है। सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/ उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण को इसकी जानकारी देते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।


(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृ0अभि0)

BGREI (Sub Plan) 2016-17 : निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा जानकारी दी गयी कि BGREI (Sub Plan) 2016-17 में कुल 1855.05 लाख की कार्य योजना लगभग स्वीकृति होने के कागार पर है। सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/ उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की जानकारी देते हुए निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप योजना कार्यान्वयन हेतु वांछित तैयारी यथा लाभुकों का चयन/स्थल चयन इत्यादि कर लें ताकि राशि उपलब्ध होते ही इसी वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

Pending voucher राज्य योजना 2014-15 (2015-16 में विमुक्त)/ PMKSY-WD (IWMP) अन्तर्गत की राशि का संबंधित voucher जो जिलावार अंकित है। Pending voucher एक सप्ताह के अन्दर सभी संबंधित उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण/ सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

क्रमांक	जिला का नाम	भाउचर सहित लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1.	बॉका	778479
2	मुंगेर	648732
3	गया	1845884
4	औरंगाबाद	303514
5	रोहतास	3174258
6	कैमूर	2611610
PMKSY-WD (IWMP) अन्तर्गत जिलावार उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध अबतक भाउचर सहित लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र ।		
1	मुंगेर	20,70,367
2	गया	1,97,414
3	औरंगाबाद	8,62,581
4	पटना	23,94,862
5	शेखपुरा	10,00,000
6	जहानाबाद	16,20,000

(संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृ0अभि0) धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


 (सुधीर कुमार)
 प्रधान सचिव,
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - कृ.नि.भू.सं. 11(यो0)64 / 2016-

/पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि : निदेशक, कृषि, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना / विशेष सचिव, कृषि विभाग / अपर सचिव, कृषि विभाग / उप निदेशक, प्रशासन कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के विशेष कार्य पदाधिकारी / विशेष सचिव, कृषि के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी परियोजना निदेशक, आत्मा / योजना के सभी नोडल पदाधिकारी / जिला के सभी नोडल पदाधिकारी / सभी उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(गुलाब यादव)


निदेशक,

भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1251

/पटना, दिनांक - 09.12.2016

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारी के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

 09.12.16
निदेशक,

भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

कृ.नि.भू.सं. 11(यो0)64 / 2016